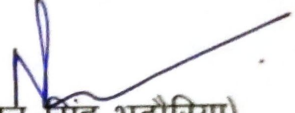


संशोधित आदेश

कार्यालय आदेश संख्या-291/आ0प्र0प्रा0/मानसून-2025 दिनांक 29 अप्रैल 2025 के क्रम में ग्रीष्मऋतु के दृष्टिगत जनपद में संचालित (कक्षा 1 से 12 तक) समस्त राजकीय सहायता प्राप्त/मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों की समय सारणी को ग्रीष्मकाल के दौरान अल्पकाल समय प्रातः 07:00 बजे से प्रातः 11:30 बजे तक संचालित करने के आदेश दिये गये थे।

जनपद के विद्यालयों में ग्रीष्मऋतु से विद्यार्थियों की सुरक्षा व्यवस्था/उचित प्रबन्धन बनाये रखते हुये विद्यालयों में पाठ्यक्रम गतिविधियों की निरन्तरता के दृष्टिगत उक्त पत्र में अंकित समय सारणी में आंशिक संशोधन करते हुये समय प्रातः 07:00 बजे से अपराह्न 12:00 बजे तक किये जाने हेतु आदेश प्रभावी किये जाते हैं।

उपरोक्त आदेश के विचलन आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 (ख) के सुसंगत प्राविधानों को उल्लंघन माना जायेगा।


(नितिन सिंह भदौरिया),
जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
ऊधम सिंह नगर। ०८

कार्यालय जिलाधिकारी, ऊधम सिंह नगर।

जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण एवं आपातकालीन परिचालन केन्द्र, ऊधम सिंह नगर।

दूरभाष नं० 05944-250250/250500/250719 टोल फ्री नं० 1077 ईमेल- ddmausn@gmail.com

पत्र संख्या- **292** /आ0प्र0प्रा0/मानसून-2025 (आदेश) दिनांक 30 अप्रैल 2025
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 01- सचिव, आपदा प्रबन्धन पुर्नवास अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 02- आयुक्त, कुमाऊ मण्डल नैनीताल।
- 03- मुख्य विकास अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
- 04- मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 05- जिला कार्यक्रम अधिकारी, उधम सिंह नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 06- कार्यालय प्रति।


जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
ऊधम सिंह नगर। ०८